

निर्णय दिनांक 27-11-2017

राजस्वीविध संकरण सं. 40/2016

पन्ना राम बनाम नला शो प्रभा (प्रात) के कामम मुकाम सावलाम कौराह

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर

27-11-17

प्राथी के वकील उपस्थित / अप्राथी सं- 4 की ओर से सरकारी वकील उपस्थित / अप्राथी सं. 1। से 1/3, 2। से 2/2, 3 के वकील अनुपस्थित / प्राथी ने एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निकेदन किया कि उक्त प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते हैं / अतः प्रकरण जरिये विद्रोवल खारिज किया जावे / प्राथी की पहचान उनके वकील श्री परमानन्द शर्मा द्वारा की गई है / अप्राथी सं. 1। से 1/3, 2। से 2/2, 3 के वकील व अप्राथी सं. 4 की ओर से सरकारी वकील ने भी इस पर No objection किया है /

अतः प्राथी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत चारा 17 (4) राज कृषि जोतो पर अधिक्तरम वरीया अधिरोपण नियम 1973 जरिये विद्रोवल खारिज किया जाता है / पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम है /

आदेश करे इजलास सुनाया गया

आतिरिक्त जिला कलेक्टर  
जालोर (राज)